उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-12/2017/एस-2-499/दस-2017-33(23)/2016

लखनऊ :: दिनॉक:: 03 अप्रैल,2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' विशेष वेतनमान, वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/- में मौलिक रूप से नियुक्त श्री धर्मेन्द्र वर्मा, अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद, कानपुर मण्डल, कानपुर को उच्च वेतनमान (वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8900/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए उनके वर्तमान पद पर ही उनकी पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8900/- में कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें।

3- इस प्रोन्नति का प्रभाव वर्तमान तैनाती के पदनाम पर नही होगा। प्रोन्नति अधिकारी द्वारा स्वत: परिवर्तित पदनाम के प्रयोग को शासन द्वारा कदाचार के रूप में संज्ञान लिया जायेगा।

शिव गोपाल सिंह

अनु सचिव।

<u>संख्या-12/2017/एस-2-499(1)/दस-2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- आयुक्त/सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।

5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।

7- संबंधित अधिकारी ।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।